न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

बईजलास पीठासीन अधिकारी सुश्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 39/2018 इ.दी. दिनांकः– 26/7/2022

1. रोड सिंह पुत्र स्व. उम्मेद सिह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
2. सुरेश सिंह पुत्र स्व. उम्मेद सिह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
3. मोड सिंह पुत्र स्व. उम्मेदसिह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
4. श्रीमती भगवती कुंवर पुत्री स्व. उम्मेद सिंह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
5. केसर कुंवर पत्नी स्व. उम्मेद सिह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
6. खुमाणसिंह उर्फ सुजान सिह पुत्र स्व. किशोरसिह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी
7. मनोहर सिह पुत्र स्व. कालु सिंह राव, नि. खरदेवला तह. बडीसादडी

– वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

– प्रतिवादी

निर्णय

वादीगण की और से धारा 88,188 राज. टी. एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावाधानो के तहत वादपत्र पेश कर अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजी सं. (पुरानी) 781/1 क रकबा 6 बिस्वा को निकुम्भ मुख्य रोड़ के किनारे अटल सेवा केन्द्र के सामने स्थित होना व बाड़े के रुप में पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करना दर्शाते हुए हैक्टेयर सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व नक्शे में तात्विक परिवर्तन कर देना बताते हुए वर्तमान में मौके पर मौजुद आधिपत्य अनुसार आराजी सं. 365 (नवीन) को वर्तमान नक्शे में आराजी सं. 351 (नवीन) के भाग के रुप में अंकित किये जाने की घोषणा व अन्य अनुतोश क्लेम किया गया है तथा वादपत्र में विभिन्न आधार वर्णित कर डिक्री किये जाने की प्रार्थन की है।

प्रतिवादी श्री तहसीलदार बड़ीसादड़ी की तामिल होकर उनकी और से दिनांक 17/05/2018 को एवं 25/10/2021 को विभिन्न मौके की जांच रिपोर्ट व जवाब पत्रावली में प्रस्तुत किया जा चुका है [illegible] रिपोर्ट में वादीगण के आधारो का समर्थन करते हुए नवीन नक्शे में गलत [illegible] जाना तथा संशोधन करना उचित बताया गया है। चूंकि वादीगण के अभिवचनों [illegible] कोई विरोध मौजुद नहीं है, उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। [illegible] मामला राजस्व नक्शे में गलत अंकन का होने तथा शुद्धिकरण प्रस्तावित किया [illegible]। प्रकरण में दिनांक 16/05/2018 को इस न्यायालय के आदेश पर पटवार हल्का खरदेवला के पर्चे मौके के अनुसार वादीगण की खातेदारी तो आराजी सं. 365 की होना बताया गया किन्तु कब्जा वादपत्र में वर्णित स्थिति अनुसार होना बताया गया है और वर्तमान नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

गलत अंकन होना भी वर्णित है। वादीगण के बाड़े चित्तौड़ रोड़ पर कतार से मौजुद होना एवे नक्शे में शुद्धि उचित होना बताया गया है

इसके उपरांत इस न्यायालय द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी खरदेवला द्वारा दिनांक 24/09/2021 को मौके की जांच की जाकर जो रिपोर्ट तहसीलदार बड़ीसादड़ी को प्रेषित की गई उससे भी यह जाहिर आया है कि पुरानी आराजी सं. 781/1 क का नया नम्बर 365 रकबा 0.07 हैक्टेयर बना है, वर्तमान रिकार्ड में आराजी सं. 365 को रोड़ के पूर्व दिशा में बताया गया है जिस पर वादीगण का कब्जा नहीं होकर पड़त भूमि है। गत भू प्रबंध की आराजी 781/1 रकबा 180 बीघा 17 बिस्वा चारागाह में से आ. नं. 351 रकबा 1.38 हैक्टेयर बना है। मौके पर जो वादीगणो का कब्जा है, कतार से 3 बाड़े बने है उक्त बाड़े डामर सड़क व उम्मेदपुरा रास्ते के मध्य बने है जिसे आरक्षित चारागाह में दर्शाया गया है। मौके पर रोड़ की तरमीम भी गलत होना बताकर मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम भी गलत होना बताकर मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि को उचित बताया गया साथ ही प्रस्तावित शुद्धिकरण का नक्शा ट्रेस भी संलग्न किया हुआ है। इस जांच रिपोर्ट को तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25/10/2021 के साथ संलग्न कर मौके अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाना उचित वर्णित किया है।

इस प्रकार विभिन्न समय अंतराल पर पर प्रस्तुत दोनो ही जांच रिपोर्ट का प्रतिवादी के जवाब से वादीगण के अभिवचनो की पुष्टि होती है एवं मौके पर वादीगण के पुराने कब्जे अनुसार कोई विरोधाभास पत्रावली में प्रकट नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट, तहसीलदार बड़ीसादड़ी के विभिन्न पत्र, गत भूप्रबंध की जमाबंदी व नक्शा तथा वर्तमान भूप्रबंध की जमाबंदी व नक्शे का अवलोकन करने एवं वादीगण के अभिवक्ता की बहस सुने जाने के उपरांत यह न्यायालय वादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण उचित समझता है।

अतः तहसीलदार बड़ीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे ग्राम खरदेवला की आराजी सं. 351 के भाग के रुप में डामर रोड़ चित्तौड़गढ़ से पश्चिम दिशा में वादीगण की खातेदारी उनके मौके पर रकबा यथावत रखते हुए कब्जे अनुसार तथा प्रस्तावित तरमीम के नक्शे अनुसार अंकित की जावें एवं गलत अंकित हो चुकी आराजी सं. 365 को चारागाह के रुप में अंकित कर उक्त भूमि में से वादीगण की खातेदारी से विलोपित की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी